भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3936

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल शक्ति केंद्र

3936. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में स्थापित जल शक्ति केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) जल शक्ति केन्द्रों के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और जनता को क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन केन्द्रों के नेटवर्क का वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों का उनके क्षेत्रों में जल संरक्षण, प्रबंधन और पहुंच पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, तमिलनाडु के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र के कल्लाकुरिची और सेलम जिले भी शामिल हैं।

(ख): जल शक्ति केंद्र समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, जो जल संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जल-संबंधी मामलों पर व्यापक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयास और प्रभावी जल-बचत तकनीकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जेएसके स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासनों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियाँ सक्षम हो रही हैं।

(ग): जल शक्ति मंत्रालय से केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए राज्यों को कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। इनका संचालन मानव और बुनियादी ढांचे दोनों संसाधनों को एकत्रित करके किया जाता है। हालांकि, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से क्रमशः पाली, यादगीर, ठाणे और पुणे प्रत्येक को 5 लाख रुपये का एकमुश्त पायलट अनुदान जारी किया गया।

(घ): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के भाग के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यके जिले में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया है, ताकि वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों सहित व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई एडवाइज़री के अनुसार, जेएसके की स्थापना संस्थागत संरचनाओ के रूप में किया जाना चाहिए जो जनता के लिए खुले और आसानी से सुलभ हों और 24/7 संचालित हों। आदर्श रूप से, ये केंद्र जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय या अन्य स्थानों पर स्थित होने चाहिए जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक हो। जिला प्रशासनों को केंद्रीय और बेहतर कनेक्टिविटी का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के निवासी आसानी से केंद्रों तक पहुँच सकें।

(ड.): जल शक्ति केंद्र (जेएसके) गतिशील संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो जल संरक्षण, प्रबंधन और पहुंच में परिवर्तनकारी बदलाव लाते हैं। इसके अलावा, जेएसके जिले के भीतर सभी जल-संबंधी गतिविधियों के समन्वय में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)/कलेक्टर की सहायता करते हैं। वे जल-संबंधी मुद्दों की योजना बनाने, तैयारी करने और उनका समाधान करने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जेएसके, ज्ञान केंद्रों के रूप में जल संरक्षण विधियों, जल उपयोग दक्षता, भूजल नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता और ग्रे वाटर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का प्रसार करते हैं। वे तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं तथा इन मामलों पर स्थानीय समुदायों को सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।

*****